

प्रपत्र:-46

परियोजना का नाम: Improvement and up-gradation of NH-74 (New NH-30) stretch from Bareilly to Sitarganj under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand

वनसंरक्षण अधिनियम का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

मैं /हम, अमित रंजन चित्रांशी, परियोजना निदेशक, पी.आई.यू. बरेली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से वचन देते हैं कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर

परियोजना निदेशक
प्रयोगेय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी -
हल्द्वानी

वन क्षेत्राधिकारी
बाराकोली वन क्षेत्र, सितारगंज
तराई पूर्वी प्रभाग, हल्द्वानी

हल्द्वानी प्रभागीय वनाधिकारी
सितारगंज
तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी

अजय कुमार शर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
नक्सलीय-सितारगंज

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.